

को पेश हो।

Om


15-3-18

पत्रावली पेश हुई, अभियाचकगण द्वारा
न्यायिक कार्य स्थगित / बहिष्कार रखने
से पत्रावली दिनांक को पेश हो। B.S.
10-5-18

11-5-2018

पत्रावली 'राजराज लौक' अदालत केम्प' बागौर' में

होना पड़ा है। अपीलार्थी श्री सोहन पिला मांगु' बोला (वेरार)
ने अपील उन्लगत धारा 75 L.R.Act. अपील पेश -




8
उपखण्ड जरी
माडल जिला न्यायाधीश

का उद्देश्य यह है कि ग्राम बागीर लखीस
मांडल के नामान्तरण संख्या 2725 निर्णय
दिनांक 4-2-2008 को अपालक कर रैस्पॉन्डेंट संख्या
2 के साथ-साथ अपीलार्थी का नाम दर्ज किया
जाए।

उक्त दर्ज कर रैस्पॉन्डेंट को नोटिस
जाती किया गया। रैस्पॉन्डेंट संख्या 1 व 2 उपस्थित।
रैस्पॉन्डेंट संख्या 2 की शेर से रफा-5 कामकाज
मियाद का निर्धारण रज का अर्थात् प्रस्तुत किया।
राजस्व लोक अदालत केस बागीर में अपीलार्थी
एवं रैस्पॉन्डेंट संख्या 2 ने उपस्थित होकर राजीनामा
प्रकार इस आशय का पेश किया कि ग्राम
बागीर लखीस मांडल के नामान्तरण संख्या
2725 निर्णय दिनांक 4-2-2008 को भी हिरा
पिला मांगु के नाम से रवेल गाया, जो
गलत है। जिस पर रैस्पॉन्डेंट भी सहमत है।

प्रकरण का अवलोकन किया, व उपलब्ध
दस्तावेजों पर मग्न किया गया। अतः अपी-
लार्थी एवं रैस्पॉन्डेंट के आपसी राजीनामा-
नुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर
पूर्व नामान्तरण संख्या 2725 निर्णय दिनांक
4-2-2008 को अपालक कर विवादित आराजीवाल
5907, 5910 कुल किला-2 रकबा 2-03 बीघा का
नामान्तरण रैस्पॉन्डेंट संख्या 2 के साथ-साथ
अपीलार्थी श्री सोहन पिला मांगु (बोला) रेगार
का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाने का
आदेश दिया जा रहा है। लखीस मांडल के
राजस्व रिकार्ड में उमर-दरामद हैल लिखा जाये।
पञ्जावली फैलल शमार होकर नम्बर से
कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

भीलवाड़ा (राजस्थान)

धारा निर्णय

2 वामदास

वैरागी

वक्ता का

पुनर्वासिता

तेवादी